झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेतु विधेयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के अढ़सठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(iii) यह दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा।

2. धारा-2 की निम्नांकित कंडिकाएं यथा- — (Vii), (x), (xiv), (xix), (xx), (xxi), (xxiA), (xxviii), (xxix), (xxxi), (xxxiii), कंडिका (xlvii) की उपकंडिका (a), (b), (c) एवं (d), (xlvi) कंडिका की व्याख्या (xlvii), (lii), (liii), (lxiii) एवं (lxv) को विलोपित किया जाता है।

3. (क) धारा-2 की कंडिका (xxii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

'वस्तु' से अभिप्रेत है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची- II की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित वस्तुएं

(ख) धारा-2 की कंडिका (xxii) में संशोधन:-

शब्द ' वितरित किये जाने वाले माल' के पश्चात शब्द 'कार्य संविदा के निष्पादन, अवक्रय पर कोई माल परिदत्त करने या किस्तों द्वारा भुगतान की किसी पद्धति, किसी माल के उपयोग के अधिकार के अन्तरण या किसी सेवा के जरिए' को विलोपित किया जाता है।

(ग) धारा-2 की कंडिका (xxv) (i) में संशोधन:-

धारा-2 की कंडिका (xxv) (i) में शब्द "व्यवसायी के द्वारा "के पश्चात शब्द "जिसके अन्तर्गत कार्य संविदा के निष्पादन के लिए या किसी अवधि विशेष के दौरान किसी प्रयोजन के लिए (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) विलोपित किया जाता है।

4. निम्नांकित धाराएं, उपधाराएं एवं कंडिकाएं यथा- धारा-9 की उपधारा (1), (2), उपधारा (4) की कंडिका (ग), धारा-10 (इ), धारा- 11, धारा 12, धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3), धारा 14, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 44, धारा 45, धारा 49 की उपधारा (2), धारा 58 एवं धारा 72 की उपधारा (1) को विलोपित किया जाता है।

5. धारा-10 B के रूप में एक नयी धारा का अन्तःस्थापन -

धारा-10 B अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) के साथ संलग्न संबंधित अनूसूची के साथ पठित धारा 13 की उपधारा-1 के संबंध में राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण कर सकती है जिसमें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रम या प्रक्रमों में वस्तुओं की बिक्री पर अथवा वस्तुओं के बिक्री के प्रक्रम या प्रक्रमों पर कर अधिरोपित कर सकती है जो 5 प्रतिशत से अधिक नही होगा।

6. धारा-57 में संशोधन।

धारा-57 को निम्नवत् संशोधित किया जाएगाः-

(1) झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) के अन्य प्रावधानों के बावजूद, सरकार, यदि जनहित में आवश्यक हो तो, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा व्यवसायियों के वर्ग को अथवा व्यक्तियों के वर्ग को बिक्री या क्रय किये गये किसी वस्तु के समूह को, कतिपय शर्तें एवं बंधेज, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी कर को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भुगतान करने से विमुक्त कर सकती है। इस धारा के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाली अधिसूचना पूर्वव्यापी अथवा भावी तिथि, इस अधिसूचना के भावी तिथि के बाद, से प्रभावी किया जा सकता है तथा उक्त विमुक्ति सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि अथवा उसमें विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से लागू होगा।

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के बावजूद, वैसे अधिसूचनाओं में किसी व्यवसायियों के वर्ग को अथवा व्यक्तियों को क्रय और विक्रय पर विमुक्ति प्रदान की शक्ति है तो उक्त में वैसे अधिसूचनाओं को वापस लेने, रद्द करने, संशोधित करने अथवा विलोपित करने की शक्तियाँ भी निहित है।

7. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) के साथ संलग्न निम्नांकित अनुसूचियाँ यथा- अनुसूची I, अनुसूची II Part A,B,C,D एवं F अनुसूची- III एवं परिशिष्ट I को विलोपित किया जाता है।

8. अनुसूची- **II Part E** में संशोधन-

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) के साथ संलग्न अनुसूची- **II Part E** को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

1	2	3	4
क्र0सं0	वस्तु का नाम	कर-दर	शर्त्ते एवं बंधेज
1	ए0टी0एफ0	4 प्रतिशत	उक्त कर आयातक द्वारा बिक्री के समय पर लगाया जाएगा, यदि माल राज्य के बाहर से आयात किया जा रहा है एवं तेल कम्पनी द्वारा बिक्री के समय पर खुदरा व्यवसायियों को अथवा उपभोक्ता को सीधे बिक्रय किया जा रहा है।
2	हाई स्पीड डीजल आयल	**22 प्रतिशत** इस अधिसूचना के कालम-4 में विनिर्दिष्ट शर्तें एवं बंधेज के आलोक में	1. बिक्रय मूल्य पर 22 प्रतिशत की दर से अथवा रूपये 8.37 पैसे प्रति लीटर, जो भी अधिक हो से कर अधिरोपित किया जाएगा। 2. उक्त कर आयातक द्वारा बिक्री के समय पर लगाया जाएगा, यदि माल राज्य के बाहर से आयात किया जा रहा है एवं तेल कम्पनी द्वारा बिक्री के समय पर खुदरा व्यवसायियों को अथवा उपभोक्ता को सीधे बिक्रय किया जा रहा है।

3	मोटर स्प्रीट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात)	**22 प्रतिशत** इस अधिसूचना के कालम-4 में विनिर्दिष्ट शर्त एवं बंधेज के आलोक में	1. बिक्रय मूल्य पर 22 प्रतिशत की दर से अथवा रूपये 15.00 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो से कर अधिरोपित किया जाएगा। 2. उक्त कर आयातक द्वारा बिक्री के समय पर लगाया जाएगा, यदि माल राज्य के बाहर से आयात किया जा रहा है एवं तेल कम्पनी द्वारा बिक्री के समय पर खुदरा व्यवसायियों को अथवा उपभोक्ता को सीधे बिक्रय किया जा रहा है।
4	भारत निर्मित विदेशी शराब सहित शराब	**50 प्रतिशत**	
5	देशी शराब	**35 प्रतिशत**	
6	प्राकृतिक गैसः कोल बेड मिथेन गैस सहित सभी प्रकार	**14 प्रतिशत**	
7	कच्चा पेट्रोलियम	**5 प्रतिशत**	

9. व्यावृतियाँ- (1) झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (इसके बाद से 'उक्त संशोधन' अथवा 'संशोधित अधिनियम' से संदर्भित) में संशोधन से -

(क) प्रभावी होने के समय कोई बात जो प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है, वह पुनः प्रवर्तित नहीं होगी, या

(ख) संशोधित अधिनियम के पूर्व की कार्यवाईयों तथा आदेश अथवा किये गये कार्य को प्रभावी नही करेगा, या

(ग) निरसित अधिनियम के अंतर्गत अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, स्वामित्व, बाध्यता या दायित्व जो निर्धारित तिथि के तत्काल पूर्व की अवधि में किसी कार्य के फलस्वरूप घटित हुआ हो, प्रभावित नहीं होगा, या

(घ) निरसित अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के संबंध में उपगत या अधिरोपित कोई कर, शास्ति, समपहरण या दण्ड प्रभावित नहीं होगा, या

(इ) किसी अन्वेषण, जाँच, सत्यापन (संवीक्षा एवं अंकेक्षण सहित) कर निर्धारण कार्यवाहियाँ, न्यायिक निर्णय एवं अन्य विधिक कार्यवाहियाँ या बकाये की वसूली या ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, दण्ड, सूद, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जब्ती या दण्ड जैसा कहा गया हो एवं ऐसे अन्वेषण, जाँच, सत्यापन (संवीक्षा एवं अंकेक्षण सहित) कर निर्धारण कार्यवाहियाँ, न्यायिक निर्णय एवं अन्य विधिक कार्यवाहियाँ या बकाये की वसूली या अन्य उपाय स्थापित जारी या क्रियान्वित तथा ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, दण्ड, सूद, जब्ती या सजा अधिरोपित या लगाए जा सकेंगे मानों झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम संशोधित नही किए गए हों।

(च) यह उपर्युक्त संशोधित अधिनियम एवं ऐसे कार्यवाहियों के अन्तर्गत अपील पुर्नरीक्षणवाद, पुर्नविलोकन या संदर्भ को प्रभावित करेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत नही हुआ हो एवं झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 को संशोधित नही किया गया हो।

(2) उपधारा (1) में संदर्भित विशेष मामलों का उल्लेख बिहार एवं उड़ीसा जेनरल क्लाउजेज अधिनियम, 1917 की धारा 8 के सामान्य अनुप्रयोग के पूर्वाग्रह के बिना या निरसन के संदर्भ में लागू नही होंगे।

यह विधयेक झारखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उदभूत हुआ और दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधयेक है ।

(दिनेश उरांव)

अध्यक्ष

झा०रा०मु० (एल०ए०) 73–50–22-12-2017